



94

16

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2015

निग 12703/II/15

राजेन्द्र राठौर आ. श्री जगन्नाथ राठौर आयु. वयस्क
निवासी राठौर मोहल्ला, गंज, सीहोर म0प्र0 कृषक
ग्राम शेरपुर तहसील व जिला सीहोर

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

आशा सिंह पत्नि विनय सिंह आयु. वयस्क
निवासी चाणक्यपुरी सीहोर कृषक ग्राम शेरपुर
तहसील व जिला सीहोर म0प्र0

.....रेस्पाण्डेंट

श्री नरेश ठाकुर
जमिन्दायक द्वारा
आज दिनांक 29-7-15
को भोपाल कैम्प पर
प्रस्तुत।
Gim 29-7-15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 10/06/2012 प्रकरण कमांक 97/अ-12/11-12 पारित
द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय, सीहोर

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. प्रकरण कमांक 97/अ-12/11-12 दिनांक 10/06/2012
द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय सीहोर

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ अपर तहसीलदार महोदय, सीहोर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अपर तहसीलदार महोदय, सीहोर के न्यायालय में रेस्पाण्डेंट आशा सिंह द्वारा धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के प्रावधानों के विपरीत जा कर दुषित तरीके से सीमांकन

राज

M

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी- 2703-दो/15

जिला-सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिप्रेत आदि के हस्ताक्षर
9-5-17 भोपाल	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0 एस0 ठाकुर को समय समय पर आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं । आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	